न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी— हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
15/2019	04/10/2019	30/1/2026

रामहेत आयु 52 वर्ष पुत्र रामगोपाल जाति मीणा निवासी लुहावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, तहसील पीपल्दा जिला कोटा

अप्रार्थी

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः— श्री नन्दकिशोर पारेता एड0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम लुहावद पटवार हल्का लुहावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मे प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि आराजी ख० नं० 1706 रकबा 0.16 है०, स्थित है, उक्त आराजी प्रार्थी को सार्वजनिक निलामी के द्वारा सन् 2009 मे आवंटित हुई, तभी से प्रार्थी उपरोक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि नामान्तरण संख्या 1592 दिनांक 26.06.2015 से प्रार्थी के खातेदारी मे दर्ज हो गई है, जो कि राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज है। प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि ख०नं0 1706 रकबा 0.16 है० भूमि पर एलोटमेन्ट के पूर्व ही काबिज काश्त चला आ रहा है, लगान, सिंचाई, भी प्रार्थी जमा करवाता है, किन्तु हल्का पटवारी द्वारा राजस्व रेकॉर्ड में नक्शा ट्रेस छोटा बना दिया, हल्का पटवारी द्वारा राजस्व रेकॉर्ड के मुताबिक नक्शा ट्रेरा नही बनाया है, जबकि मौके पर प्रार्थी राजस्व रेकॉर्ड के मुताबिक 0.16 है०, कृषि भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है, इसलिये राजस्व रेकॉर्ड में मौका स्थिति व राजस्व रेकॉर्ड मे स्थित रकबा के अनुरूप नक्शा ट्रैस बनाया जाना आवश्यक है। नक्शा ट्रेस के दुरूस्ती हेतु प्रार्थी ने श्रीमान् तहसीलदार पीपल्दा में निवेदन किया, लेकिन उनके द्वारा असमर्थता जाहिर की इसलिये श्रीमान् मे यह प्रार्थना लाना पडा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में स्थित रकबा व मौके की स्थिति के मुताबिक नया नक्शा ट्रेस बनाया जावे, तथा पुराना नक्शा ट्रेस दुरूस्त किया जाने का आदेश फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री नन्दकिशोर पारेता एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। जवाब सरकार अनुसार ऑनलाईन जमाबन्दी सम्वत 2074—77 के ग्राम लुहावद के ख0सं0 1706 रकबा 0.16है0 भूमि पर एक ही खातेदार रामहेत पुत्र रामगोपाल जाति मीणा सा0 देह खातेदार रिकॉर्ड दर्ज है। जिसकी खातेदारी रकबा 0. 16है0 पर दिनांक 26.06.2015 मुताबिक नामातंरण सं0 1592 ग्राम लुहावद के मिलना तस्दीक होता है। मौके पर वादी का ही कब्जा काश्त है। मौके पर कब्जा उतने ही रकबे पर है जितना राजस्व रिकॉर्ड का नक्शा दिख रहा है। अर्थात मुताबिक राजस्व नक्शा के प्रार्थी का रकबा लगभग 0.13हे0 बनता है और इतने ही रकबे पर प्रार्थी काबिज है।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तथा जवाब सरकार के मुताबिक प्रार्थी रकबे के अनुसार ही मौके पर काबिज काश्त है। अतः नक्शा

21

शुद्धि नहीं की सकती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा